

कार्यालय -- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश

कर्मक/संरक्षण/1021

/भोपाल : दिनांक

प्रति,

13/6/03

समस्त वन संरक्षक,

(क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)


मध्यप्रदेश ।

विषय: वन अपराधों की जांच एवं निराकरण हेतु प्रचलित प्रपत्रों में संशोधन ।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र कर्मक/संरक्षण/928 दिनांक 30-5-2003

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । आपको पूर्व में भेजे गये प्रपत्रों में क्षेत्रीय अधिकारियों के माव अनुसार कुछ संशोधन किया गया है । संशोधित प्रपत्र संलग्न हैं कृपया संशोधित प्रपत्रों का उपयोग किया जाय ।

1) संशोधित प्रपत्र दिनांक एक जुलाई 2003 के स्थान पर दिनांक एक जनवरी 2004 से लागू होंगे ।
2) प्रपत्रों की प्रिंटिंग का कार्य शासकीय मुद्रणालय, भोपाल के द्वारा किया जावेगा जिसके लिये वनमण्डलाधिकारी, भोपाल को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है । प्रारंभ में प्रत्येक क्षेत्रीय वृत्तों के लिये 1000 एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य के लिये 1000 पी ओ आर बुक्स (प्रत्येक में 25 पन्ने) एवं इसके समतुल्य प्रपत्र के मुद्रण का आदेश दिया जा रहा है । सभी वन संरक्षक कार्य का भुगतान शासकीय प्रेस को करेगें । यदि किसी वृत्त में उपरोक्त से अधिक सामग्री की आवश्यकता हो तो वनमण्डलाधिकारी, भोपाल से समन्वय कर शासकीय प्रेस को प्रिंटिंग हेतु आदेश दें ।


(डॉ. एच एस पादला)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

भोपाल

/भोपाल : दिनांक

कर्मक/संरक्षण/कक्ष - 1 1022

वनमण्डलाधिकारी, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । वह कृपया प्रपत्रों के मुद्रण के संबंध में तुरंत कार्यवाही करें । प्रपत्र कर्मक.10.11.12.13 एवं 14(पंजी से संबंधित प्रपत्रों) को छोड़कर अन्य प्रपत्रों का मुद्रण कार्य आपके द्वारा किया जावेगा । कृपया 53000 पी ओ आर बुक्स एवं इनके समतुल्य अन्य प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था करें ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

भोपाल